

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)**

E-mail - [cecdpwd\\_uki@rediffmail.com](mailto:cecdpwd_uki@rediffmail.com)

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 770/382-0

दिनांक 02/07/2021

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला,  
उत्तरकाशी।


विषय :- प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/41009/2019** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुन तक मोटर मार्ग।

महोदय,

विषयक प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/41009/2019** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुन तक मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का फार्म ए. संशोधन कर दिया गया है। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं	आपत्ति	आख्या
1	The name of the person who was authorised to make the application is mentioned as Dhirendra Kumar bisht in Part I at A_3-(i)(ii)(iii) which differ from that what mentioned in the authority letter (Chandan Singh Rawat); also the name and designation of the competent authority(i.e. those who signed the letter) is mandatory to mention the same on authority letter which is not mentioned. Kindly rectify accordingly (screenshot is attached for your reference).	forests clearance पर User Agency की User ID की Profile में वर्तमान में तैनात अधिशासी अभियन्ता का नाम एवं मो० नम्बर आदि विवरण अपडेट कर दिया गया है, जिससे competent authority और authority letter कोई भिन्नता नहीं रह गयी है।
2	The name of village mentioned in B-2.3 in part is gorun while the VLC proceeding/NOC attached along with FRA certificate is for Kavagaddi. Kindly clarify the same. (screenshot is attached for your reference)	उक्त प्रकरण में मोटर मार्ग गोरुन हेतु प्रस्तावित है। लेकिन ग्राम गोरुन ग्राम पंचायत कावागडी के अन्तर्गत आता है। जिस कारण VLC एवं FRA certificate में ग्राम गोरुन के स्थान पर ग्राम पंचायत कावागडी अंकित है जबकि प्रस्तुत प्रमाण पत्र में ग्राम पंचायत कावागडी के गोरुन निवासियों द्वारा ही हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3	In Form A, Part -I under L-(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation document uploaded is not correct. Kindly upload the correct document.	Form A, Part -I under L-(vi) में सही Toposheet अपलोड कर दी गई है।
4	Kindly upload the Check list/Fact sheet as additional information in Part I.	Check list/Fact sheet में additional information पूरी अपलोड दी गई है।

उक्त के अतिरिक्त CA का क्षेत्रफल सही कर CA की KML फाइल अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय  
  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.